MUNICIPAL CORPORATION
YAMUNA NAGAR-JAGADHRI

निविदा सूचना

उपायुक्त यमुनानगर द्वारा निर्धारित दरो पर एक वर्ष के लिये नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के दमकल केन्द्र के लिए अनुबन्ध आधार पर 46 फायरमैन व 29 चालक उपलब्ध कराने हेतू रिप्यूटिड एजैन्सी की सेवाओं की आवश्यकता है। जिसके लिये ई-टैन्डरिंग के माध्यम से निविदायें दिनांक 27.11.2015 को सायं 3.00 बजे तक वैवसाईट **etenders.hry.nic.in** पर आमन्त्रित की जायेगी। निविदा की शर्ते निम्नलिखित है:-

1. टैन्डर भरने वाली फर्म के पास फर्म का रजिस्ट्रेशन फार्म सी.रूल-9, ई.पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन, ई.एस.आई. नम्बर व सर्विस टैक्स नम्बर होना अति आवश्यक है।
2. फर्म को दो बिड (टैक्नीकल + फाईनान्स) धरोहर राशि 25000/-रू0 डिमान्ड ड्राफ्ट व 1000/-रू0 का टैन्डर फार्म (नोनरिफन्डेबल) आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर के नाम दिनांक 27.11.2015 को समय सायं 3.00 बजे तक नगर निगम कार्यालय यमुनानगर में जमा करवाना अनिवार्य होगा। निविदायें दिनांक 30.11.2015 को समय 3.00 बजे संयुक्त आयुक्त की देखरेख में खोली जायेगी तथा फर्म द्वारा दी गई बिडों में अगर टैक्नीकल बिड सही नहीं पाई गई तो फाईनैशियल बिड नहीं खोली जायेगी व टैन्डर रदद कर दिया जायेगा।
3. सफल निविदादाता को 4,75,000 रू0 की धरोहर राशि तुरन्त नगर निगम कोष में जमा करानी होगी। इस प्रकार धरोहर राशि 5,00,000 रू0 होगी। किसी भी फर्म की निविदा को बिना कारण बताए रद्व करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के पास सुरक्षित होगा।
4. फर्म को सिर्फ सर्विस चार्ज का भुगतान इन्कम टैक्स काटने उपरान्त किया जायेगा व टैन्डर के साथ संलग्न बी.ओ.क्यू. में सर्विस चार्ज प्रतिशत में डालनी अनिवार्य होगी।
5. निविदाकर्ता का टैन्डर 5 प्रतिशत से कम सर्विस चार्ज मान्य नहीं होगा।
6. हरियाणा सरकार द्वारा जब भी फायर विभाग अलग से गठित कर दिया जाता है तो ठेका उसी अवधि/यानि कि विभाग के गठन तक होगा।
7. वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख को कर्मचारियों को करना होगा। उसके बाद ही फर्म के बिल की अदायगी की जायेगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त करके नया टैन्डर किया जायेगा जिसके लिये सम्बन्धित फर्म जिम्मेदार होगी जिसका किसी भी न्यायालय में कोई क्लेम/कोर्ट केस नहीं किया जा सकता।

अनुबन्ध आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की शैक्षिणक योग्यताएं, नियम व शर्तें दमकल केन्द्र कार्यालय व वैबसाईट **www.mcynr.com** पर भी देखी जा सकती है।

कार्यकारी अधिकारी,
कृते: आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।

नियम व शर्तें

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के दमकल केन्द्र पर अनुबन्ध आधार पर फायरमैन व चालक रिप्युटिड ऐजैन्सी के माध्यम से रखने की शर्ते निम्न प्रकार से होगी।

क्र0सं0	फायरमैन	फायर चालक
1	मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से साईन्स विषय सहित मैट्रिक पास हो।	मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से साईन्स विषय सहित मैट्रिक पास हो।
2	हरियाणा राज्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र से फायर मैन का प्रशिक्षण पास हो।	3 वर्ष के अनुभव सहित भारी वाहन चालन का लाईसैन्स प्राप्त हो।
3	शारिरिक तौर पर स्वस्थ हो।	शारिरिक तौर पर स्वस्थ हो।
4	गहरे पानी में तैरने में सक्षम हो।	फायर गाडी की पम्प व अन्य कलपूर्जो की जानकारी के साथ अच्छा चालक हो।
5	उचांई 5.7 ईन्च छाती 32 ईन्च-34 ईन्च वनज 54 कि.ग्रा. आंखों की दृष्टि 6/6	उचांई 5.7 ईन्च छाती 32 ईन्च-34 ईन्च वनज 54 कि.ग्रा. आंखों की दृष्टि 6/6
6	डयूटी 8 घण्टे, 24 घण्टे की 3 शिफ्टो में चक्कर सहित आवश्यकता पडने पर डयूटी 12-12 घण्टे भी ली जा सकती है। जिसके बदले कोई रैस्ट या अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।	डयूटी 8 घण्टे, 24 घण्टे की 3 शिफ्टो में चक्कर सहित आवश्यकता पडने पर डयूटी 12-12 घण्टे भी ली जा सकती है। जिसके बदले कोई रैस्ट या अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।

7 फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए फायरमैन/चालक के डयूटी से अनुपस्थित रहने की दशा में उसके मासिक वेतन में से एक दिन के अनुपात में वेतन काटा जायेगा।

8 उपलब्ध स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

9 स्टाफ फायर ऑफिसर/सब फायर ऑफिसर/लिडिंग फायरमैन (स्थिति अनुसार) के अधिन कार्य करेगा। लिडिंग फायरमैन की अनुपस्थिति में स्टाफ सिनियर फायरमैन के अधीन कार्य करेगा और स्टाफ आयुक्त, नगर निगम के सामन्य नियन्त्रण में रहेगा।

10 फर्म को सिर्फ सर्विस चार्ज का भुगतान इन्कम टैक्स काटने उपरान्त किया जायेगा।

11 उपलब्ध कराये गये स्टाफ के किसी सदस्य को अग्नि काण्ड व डयूटी के समय किसी प्रकार की चोट व जान हानि के लिये नगर निगम किसी प्रकार की क्षती पूर्ती या दावें की अदायगी नहीं करेगी।

12 ऐजैन्सी उपलब्ध कराये जाने वाले स्टाफ को वर्दी या वर्दी से सम्बन्धित अन्य सामग्री ठेके की अवधि के दौरान ऐजैन्सी द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

13 निविदाकर्ता द्वारा दिये गये टैन्डर में सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत से कम मान्य नहीं होगा।

14 वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख को कर्मचारियों को करना होगा। उसके बाद ही फर्म के बिल की अदायगी की जायेगी अन्यथा सिक्योरिटी जब्त करके नया टैन्डर किया जायेगा जिसके लिए

सम्बन्धित फर्म जिम्मेदार होगी जिसका किसी भी न्यायालय में कोई क्लेम/कोर्ट केस नहीं किया जा सकता।

15 ऐजैन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्टाफ के नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्षअनुशासन व आज्ञा कारिता के साथ पेश होना होगा।

16 स्टाफ को डयूटी के समय अवांछित गतिविधियों (ताश खेलना वमदीरा सेवन) की पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।

17 ऐजैन्सी को पांच लाख रू0 धरोहर राशि के तौर पर नगर निगम में जमा कराने होगें। धरोहर राशि अनुबन्ध अवधि संतोषजनक पूर्ण होने उपरान्त बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। परन्तु ऐजैन्सी द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान निर्धारित शर्तो का उल्लघंन करने की दिशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

18 अनुबन्ध आरम्भ होने उपरान्त किसी कर्मचारी को बदलने के लिए दमकल केन्द्र अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी की पूर्ववानुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

19 उपलब्ध कराये गये स्टाफ को पहचान पत्र ऐजैन्सी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

20 डयूटी के दौरान उपलब्ध कराये गये किसी भी कर्मचारी की लापरवाही से नगर निगम की सम्पत्ति को होने वाली क्ष्ज्ञती की पूर्ती ऐजैन्सी द्वारा की जायेगी।

21 कर्मचारियों को उपायुक्त महोदय द्वारा समय-2 पर निर्धारित दरों के साथ वेतन देने के लिये ऐजैन्सी पाबन्ध होगी।

22 नगर निगम यमुनानगर को यह हक होगा कि ऐजैन्सी को एक महीने का नोटिस देकर ठेका रद्व करने का अधिकार सूरक्षित होगा।

23 कर्मचारी के बिमार होने पर अन्य कर्मचारी उपलब्ध करवाना ऐजैन्सी की जिम्मेवारी होगी।

24 ऐजैन्सी का कोई भी कर्मचारी न्यायालय की शरण में जाता है तो नगर निगम पर जो भी खर्चा पडेगा वह ऐजैन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।

25 नगर निगम किन्ही कारणें से ऐजैन्सी की अदायगी में विलम्ब करती है तो ऐजैन्सी नगर निगम के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेगी।

26 कर्मचारियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने पर उसका हर्जा खर्चा पूणतः ऐजैन्सी द्वारा वहन किया जायेगा।

27 हरियाणा चयन आयेग द्वारा दमकल केन्द्र पर स्थाई कर्मचारी भेजने उपरान्त ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्व कर दिया जायेगा।

28 हरियाणा सरकार विभाग दमकल विभाग का अलग गठन होना प्रस्तावित है जब भी अलग से गठित कर दिया जायेगा तो ठेका उसी अवधि/यानि की विभाग के गठन तक होगा।

29 यदि ऐजैन्सी व नगर निगम में किसी विषय पर झगड़ा या मतभेद होता है तो उपायुक्त यमुनानगर एवं आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर या उन द्वारा नोमिनेट किये हुए अधिकारी का निर्णय दोनो को मान्य होगा।

कार्यकारी अधिकारी,
कृतेः आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।